

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
अधिसूचना

सं०सं०-०१/स्था०(क०५२१०)-०५/२०१८-१४१५ / न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक २५/३/२०२०

सुश्री प्रियंका गुप्ता (बि०न०से०), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हिलसा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक-6081 दिनांक-17.09.19 द्वारा सशक्त स्थायी समिति की बैठक की तिथि निर्धारित किये जाने के बावजूद बैठक नहीं बुलाने, सरकारी कार्यों के निष्पादन में मनमानी करने, माननीय उच्च न्यायालय एवं विभागीय आदेश की अवहेलना करने तथा अवैध बहाली करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

2. जिला पदाधिकारी, नालंदा के प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के तहत सुश्री प्रियंका गुप्ता (बि०न०से०), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हिलसा को अगले आदेश तक के लिए आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में सुश्री गुप्ता को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

5. सुश्री गुप्ता के विरुद्ध आरोप पत्र एवं विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(अभय राज)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-०१/स्था०(क०५२१०)-०५/२०१८-१४१५ / न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक २५/३/२०२०

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महालेखाकर, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, नालंदा/सुश्री प्रियंका गुप्ता (बि०न०से०), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
२५/३/२०२०  
सरकार के विशेष सचिव